



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269654
CG-DL-E-29012026-269654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 383]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 411(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 के 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव (जो पीसी और पीएनडीटी अधिनियम, 1994 का कार्य देखते हैं) को गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 के 57) के संबंध में उक्त नियमों के उद्देश्य से नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत करती है।

[फा. सं. वी.16011/4/2025पीएनडीटी]

एलांगबम रॉबर्ट सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 411(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the Central Government hereby designates Joint Secretary (handling PC & PNDT Act), in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, as the nodal officer for the purposes of the said rules in respect to the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994).

[F. No. V.16011/4/2025-PNDT]

ELANGBAM ROBERT SINGH, Jt. Secy.